27/1/20 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उप.। पत्रावली में पूर्व में बहस अन्तर्गत RTA 212 समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थी के पिता स्व. अरजनराम के नाम 1.649 है आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अरजनराम ने प्रश्नगत आराजी से संबंधित एक वंद वसीयत दिनांक 10/7/09 को कार्यालय जिला पंजीयन अधिकारी में निष्पादित करवायी थी। अरजनराम की मृत्यु दिनांक 10/12/16 को हुई। मुताबिक वसीयत अरजनराम ने अपनी 1.649 है. स्वअर्जित आराजी प्रार्थी के नाम कर दी। अतः प्रार्थी इस आराजी का खातेदार काश्तकार एवं एकमात्र अधिकारी है। अप्रार्थीगण इस आराजी को मुतंकिल करना चाहते है। प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में जिस बंटवारानामा दिनांक 20/2/14 का जिक्र किया है, उसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। आज यदि प्रश्नगत आराजी का आगे बेचान होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायदृष्टान्त RRT 2018 पेज 1140, DNJ 2019 पेज 18, RRT 2012 पेज 96, DNJ 2014 पेज 240 प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किए कि प्रश्नगत आराजी अरजनराम को कस्टोडियन विभाग से आवंटित हुयी थी। अतः स्वअर्जित भूमि नहीं थी। इसलिए अरजनराम को वसीयत करने का कोई अधिकार ही नहीं था। अरजनराम ने अपने जीवनकाल में ही जरिए बंटवारानामा दिनांक 20/2/14 अपनी कृषि भूमि को 6 वारिसों में बांट दिया था। सभी वारिस

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

अपने-अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा भी प्रश्नगत आराजी में अपना 1/4 हिस्सा मानते हुए उसमें से 5 बिघा आराजी जरिए इकरारनामा दिनांक 12/11/19 को अप्रार्थी सं. 1 को बेच कर दी। अरजनराम ने कभी कोई वसीयत का जिक्र नहीं किया। ना ही ऐसा कोई कारण है जिससे अन्य वारिसों को छोड़कर एक ही पक्ष में वसीयत की जाए। ना ही अरजनराम को इसकी आवश्यकता थी। वसीयत करवाते समय प्रार्थी स्वयं पिता अरजनराम को लेकर आए थे। शेष वारिसान को सूचना नहीं दी एवं धोखे से वसीयत पर हस्ताक्षर करवाकर अरजनराम को अस्पताल में भर्ती करवा दिया ताकि शेष वारिसान को पता नहीं चले। प्रार्थी क्लीन हैंड से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। एक ओर इकरारनामा दिनांक 12/11/19 में स्वयं अपना हिस्सा 1/4 मानते हुए जमीन बेच कर रहा है जबकि दूसरी ओर समस्त आराजी हेतु दावा पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायदृष्टांत DNJ 2014 पेज 57 का उल्लेख कर अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने का कथन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं सम्माननीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हमें विधि द्वारा सुस्थापित निम्नांकित बिंदुओं पर विचारण करना होगा—

1. प्रथमदृष्ट्या मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

1. <u>प्रथमदृष्ट्या मामला:</u> प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत आराजी स्व. अरजनराम को आवंटित भूमि थी। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा दिनांक 10/7/09 एक पंजीबद्ध दस्तावेज है। जिस पर प्रथमदृष्ट्या संदेह का कोई कारण नहीं है। साथ ही इसकी वैधता का निर्धारण जरिए साक्ष्य गुणावगुण पर किया जाना है। इस स्तर पर इसका विनिश्चय नहीं होना है। यह भी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है एवं विवाद की विषयवस्तु पारिवारिक संपति है। इस स्थिति में वाद निस्तारण तक संपति की संरक्षा न्यायालय का कर्तव्य है। प्रार्थी द्वारा यदि इकरारनामा दिनांक 12/11/13 के संबंध में अपना हक हिस्सा 1/6 माना गया है तो इसके संबंध में निर्णयन दावे में जरिए साक्ष्य होना है। इस स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थी के पक्ष में अधिक बनता है। अतः यह बिंदु प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

२. सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति:- सुविधा की दृष्टि व कथनों की पुनरावृति से बचने हेतु इन दोनों बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वसीयतनामा दिनांक 10/7/19 जिला पंजीयन अधिकारी के यहां पंजीबद्ध दस्तावेज है। इसकी वैधता का निर्धारण वाद में जरिए साक्ष्य होना है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में अधिक है। अस्थायी निषेधाज्ञा यदि खारिज की जाती है तो पारिवारिक सदस्यों/पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता में वृद्धि संभव है। ऐसी सूरत में वाद के निस्तारण तक वाद की विषय वस्तु वादग्रस्त आराजी की संरक्षा करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अन्यथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी को सम्भावित है। अतः उपरोक्तानुसार दोनों बिंदु प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किए जाते है।

उक्त विवेचन के आधार पर तीनो बिंदु प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत होने से अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01/08/19 तावफैसला दावा इस आशय से कन्फर्म की जाती है कि उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड को यथास्थिति बनाए रखे। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कैफियतनुमा होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner